

खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन-पत्र

(दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निरस्तनीय होगा)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय / जिला रसद अधिकारी,

उपखण्ड

प्रथम अपील: खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत समाविष्ट करने हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलार्थी निम्न अपील प्रस्तुत करता है-

1. अपीलार्थी पुत्र/पुत्री/श्रीमती/श्री
जाति उम्र निवासी
वार्ड संख्या तहसील
नगर पालिका/ नगर निगम जिला का स्थाई निवासी है एवं शहरी क्षेत्र का निवासी है।
2. मुखिया के पूरे परिवार का विवरण:

क्र. सं.	नाम	माता का नाम	पिता का नाम	मुखिया के साथ सम्बन्ध	लिंग	जन्म दिनांक	* जन आधार कार्ड नं.	* आधार कार्ड नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				स्वयं				
2								
3								
4								
5								

* अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

3. राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में शहरी क्षेत्र में समावेशन हेतु समावेशन के पात्रता सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं-

समावेशन (Inclusion) की प्राथमिकता सूची-

1. अन्त्योदय परिवार
2. बीपीएल परिवार
3. स्टेट बीपीएल परिवार
4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5. ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं हैं तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा-
 - A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
 - B. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
 - C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
 - D. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
 - E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
 - F. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज में स्कूलों के हॉस्टल)
8. एकल महिलाएँ
9. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना
10. सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवार
11. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
12. वरिष्ठ नागरिक, जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हों।
9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11. कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार
12. कचरा बीनने वाले परिवार

13. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ
14. गैर सरकारी सफाईकर्मी
15. स्ट्रीट वेन्डर
16. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
17. साईकिल रिक्शा चालक
18. पोर्टर (कुली)
19. कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
20. घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियाँ जैसे: वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड़ पालक
21. वनाधिकारी पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
22. आस्था कार्डधारी परिवार
23. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति।

24. ऐडस् (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
25. सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
26. बहुविकलांग एवं मंद बुद्धि व्यक्ति (21 श्रेणियाँ)
27. पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थि बच्चे एवं पालनहार परिवार
28. डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएँ
29. निसंतान वृद्ध दंपति
30. वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है
31. ट्रांसजेन्डर

4. अपीलार्थी उपरोक्त समावेशन प्राथमिकता श्रेणियोंमें अभिलिखित उपवर्ग की श्रेणी का है, जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज संलग्न हैं।

5. राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों हेतु निर्धारित निष्कासन (Exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं) में वर्णित निम्नलिखित छः अपात्रताओं में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नहीं है—

1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।
3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो।)
4. नगर निगम/ नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फिट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय / व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोड़ कर)
5. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फिट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय / व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोड़ कर)
6. एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार
7. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो

नोट: निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।

6. अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के परिवार, जिसका जनआधार कार्ड संख्या है, को वार्ड संख्यानगर पालिका/ नगर निगम तहसील जिला.....में खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन सूची में समावेशन प्राथमिकता श्रेणी का आदेश जारी कराये। (समावेशन श्रेणी का नाम लिखें)

नोट: आवेदन पत्र के साथ यदि आपने अपनी समावेशन श्रेणी को कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किया है तो आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाकर आवेदक को बकाया दस्तावेज सम्बन्धित विभाग में जमा कराने के लिये अधिकतम 15 दिवस का समय और दिया जायेगा।

संलग्न दस्तावेजों की सूची—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

हस्ताक्षर अपीलार्थी

नाम—
पिता का नाम—
माता का नाम—
मोबाईल नंबर—
पता—

शपथ-पत्र / स्वघोषणा

मैं पुत्र/पत्नी श्री

निवासी

यह घोषणा करता/करती हूँ कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 के बिन्दु संख्या 5 में अंकित निष्कासन की 7 श्रेणियों में, मैं/मेरा परिवार शामिल नहीं है। यदि मैं/मेरा परिवार जाँच में निष्कासन की श्रेणियों में शामिल होना पाया जाता है तो मेरे/हमारे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर अपीलार्थी)

दिनांक:

स्थान:

खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन-पत्र

(दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निरस्तनीय होगा)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय / जिला रसद अधिकारी,

उपखण्ड

प्रथम अपील: खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत समाविष्ट करने हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलार्थी निम्न अपील प्रस्तुत करता है-

1. अपीलार्थी पुत्र/पुत्री/श्रीमती/श्री
जाति उम्र निवासी ग्राम
ग्राम पंचायत तहसील
पंचायत समिति का स्थाई निवासी है एवं ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है।

2. मुखिया के पूरे परिवार का विवरण:

क्र. सं.	नाम	माता का नाम	पिता का नाम	मुखिया के साथ सम्बन्ध	लिंग	जन्म दिनांक	*जन आधार कार्ड नं.	*आधार कार्ड नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				स्वयं				
2								
3								
4								
5								

* अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

3. राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में समावेशन हेतु समावेशन के पात्रता सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं-

समावेशन (Inclusion) की प्राथमिकता सूची-

1. अन्त्योदय परिवार
2. बीपीएल परिवार
3. स्टेट बीपीएल परिवार
4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5. ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा-
 - A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
 - B. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
 - C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
 - D. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
 - E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
 - F. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
 - G. महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
 - H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना
6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा
- I. सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवार
- J. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
- K. भूमिहीन कृषक
- L. सीमान्त कृषक
- M. वरिष्ठ नागरिक, जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हों।
8. एकल महिलाएँ
9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक

विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज में स्कूलों के हॉस्टल)

10. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11. कचरा बीनने वाले परिवार
12. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
13. साईकिल रिक्शा चालक
14. पोर्टर (कुली)
15. कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
16. घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियाँ जैसे: वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड़ पालक
17. वनाधिकारी पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
18. लघु कृषक
19. आस्था कार्डधारी परिवार
20. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति।
21. ऐडस् (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
22. सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
23. बहुविकलांग एवं मंद बुद्धि व्यक्ति (21 श्रेणियाँ)
24. पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थि बच्चे एवं पालनहार परिवार
25. डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएँ
26. निसंतान वृद्ध दंपति
27. वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है
28. ट्रांसजेन्डर

4. अपीलार्थी उपरोक्त समावेशन प्राथमिकता श्रेणियोंमें अभिलिखित उपवर्ग की श्रेणी का है, जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज संलग्न हैं।

5. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित निष्कासन (Exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं) में वर्णित निम्नलिखित छः अपात्रताओं में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नहीं है—

1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।
3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो।)
4. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो
5. ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रु. वार्षिक से अधिक हो
6. ऐसे परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फिट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो

नोट: निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।

6. अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के परिवार, जिसका जनआधार कार्ड संख्या है, को ग्राम ग्राम पंचायत तहसील / पंचायत समिति जिला में खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन सूची में समावेशन प्राथमिकता श्रेणी का आदेश जारी करायें। (समावेशन श्रेणी का नाम लिखें)

नोट: आवेदन पत्र के साथ यदि आपने अपनी समावेशन श्रेणी को कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किया है तो आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाकर आवेदक को बकाया दस्तावेज सम्बन्धित विभाग में जमा कराने के लिये अधिकतम 15 दिवस का समय और दिया जायेगा।

संलग्न दस्तावेजों की सूची—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

हस्ताक्षर अपीलार्थी

नाम—
पिता का नाम—
माता का नाम—
मोबाईल नंबर—
पता—

शपथ-पत्र / स्वघोषणा

मैं पुत्र/पत्नी श्री

निवासी

यह घोषणा करता/करती हूँ कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 के बिन्दु संख्या 5 में अंकित निष्कासन की 6 श्रेणियों में, मैं/मेरा परिवार शामिल नहीं है। यदि मैं/मेरा परिवार जाँच में निष्कासन की श्रेणियों में शामिल होना पाया जाता है तो मेरे/हमारे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर अपीलार्थी)

दिनांक:

स्थान:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की जाँच रिपोर्ट (शहरी क्षेत्र हेतु)

प्रार्थी श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि.....
जाति.....निवासी..... नगरपालिका

तहसील द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र की निम्नांकित कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से मौका स्थिति एवं रिकॉर्ड के आधार पर जांच की गई। जांच अनुसार प्रार्थी के परिवार का मुखिया श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नि..... है तथा प्रार्थी का परिवार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 के तहत समावेश की श्रेणी के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में समावेश की पात्रता बाबत् उक्त विभागीय अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 में वर्णित निष्कासन श्रेणी (अपात्र संबंधी) संबंधित बिंदुओं बाबत् जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

क्र.स.	निष्कासन श्रेणी (अपात्रता संबंधी)	जाँच रिपोर्ट (बिन्दु संख्या 2 से 7 में हों अथवा नहीं भरे।)
1	प्रार्थी समावेशन सूची की कौनसी श्रेणी में आता है :- अन्त्योदय/बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्नपूर्णा/सा.सु.योजना के पेंशनर /घुमन्तु व अर्द्ध घुमन्तु जाति/वनाधिकार पट्टाधारक /पंजीकृत निर्माण श्रमिक/आस्था कार्ड धारी/एडस पीडित परिवार/कचरा बीनने वाले परिवार/शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ/गैर सरकारी सफाई कर्मी/अन्य श्रेणी	(श्रेणी लिखें)
2	क्या प्रार्थी के परिवार में से कोई भी एक सदस्य आयकरदाता है ?	
3	क्या प्रार्थी के परिवार में से कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी है अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है?	
4	क्या प्रार्थी के परिवार में से किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन है? (एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता है)	
5	क्या प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों के नाम/स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा (2 हेक्टेयर) से अधिक है ?	
6	क्या प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक है?	
7	क्या प्रार्थी के परिवार के पास नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसर है? (कच्ची बस्ती को छोड़कर)	
8	प्रार्थी के परिवार का 12 अंकीय राशनकार्ड संख्या एवं सदस्य संख्या	
9	प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों के नाम :-	

प्रमाणीकरण

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह प्रमाणित करते हैं कि उक्त आवेदक के एनएफएसए अपील प्रार्थना पत्र की जाँच हमारे द्वारा आवेदक के निवास स्थान पर जाकर की गई है तथा जाँच के आधार पर कि आवेदक व उसके परिवार हेतु, उपर्युक्त वर्णित बिन्दु संख्या 2 से 7 में वर्णित निष्कासन श्रेणी (अपात्र संबंधी) की उक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर, खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने/नहीं करने हेतु निम्नानुसार अनुशंषा की जाती है।

(अनुशंषा : पात्र/अपात्र)

(अनुशंषा : पात्र/अपात्र)

अधिशोषी अधिकारी नगरपालिका.....

पटवारी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की जाँच रिपोर्ट (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)

प्रार्थी श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि.....
जाति.....निवासी.....ग्राम पंचायत
तहसील द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र की निम्नांकित कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से
मौका स्थिति एवं रिकॉर्ड के आधार पर जांच की गई। जांच अनुसार प्रार्थी के परिवार का मुखिया
श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नि..... है तथा प्रार्थी का परिवार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 के तहत समावेश की श्रेणी
..... के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में समावेश की पात्रता बाबत् उक्त विभागीय
अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 में वर्णित निष्कासन श्रेणी (अपात्र संबंधी) संबंधित बिंदुओं बाबत् जांच रिपोर्ट
निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	निष्कासन श्रेणी (अपात्रता संबंधी)	जाँच रिपोर्ट (बिन्दु संख्या 2 से 7 में हों अथवा नहीं भरे।)
1	प्रार्थी समावेशन सूची की कौनसी श्रेणी में आता है :- अन्त्योदय/बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्नपूर्णा/सा.सु.योजना के पेंशनर /मनरेगा में 100 दिवस रोजगार करने वाले/भूमिहीन किसान/सीमांत किसान/लघु किसान/घुमन्तु व अर्द्ध घुमन्तु जाति/वनाधिकार पट्टाधारक /पंजीकृत निर्माण श्रमिक/आस्था कार्ड धारी/एड्स पीडित परिवार/अन्य श्रेणी	(श्रेणी लिखें)
2	क्या प्रार्थी के परिवार में से कोई भी एक सदस्य आयकरदाता है ?	
3	क्या प्रार्थी के परिवार में से कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी है अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है?	
4	क्या प्रार्थी के परिवार में से किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन है? (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता है)	
5	क्या प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों के नाम/स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा (2 हेक्टेयर) से अधिक है ?	
6	क्या प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक है?	
7	क्या प्रार्थी के परिवार के पास 2000 वर्ग फीट से अधिक माप का पक्का रिहायशी मकान है?	
8	प्रार्थी के परिवार का 12 अंकीय राशनकार्ड संख्या एवं सदस्य संख्या	
9	प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों के नाम :-	

प्रमाणीकरण

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह प्रमाणित करते हैं कि उक्त आवेदक के एनएफएसए अपील प्रार्थना पत्र की जाँच हमारे द्वारा आवेदक के निवास स्थान पर जाकर की गई है तथा जाँच के आधार पर कि आवेदक व उसके परिवार हेतु, उपर्युक्त वर्णित बिन्दु संख्या 2 से 7 में वर्णित निष्कासन श्रेणी (अपात्र संबंधी) की उक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर, खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने/नहीं करने हेतु निम्नानुसार अनुशंषा की जाती है।

(अनुशंषा : पात्र/अपात्र)

(अनुशंषा : पात्र/अपात्र)

(अनुशंषा : पात्र/अपात्र)

ग्राम विकास अधिकारी.....

सरपंच.....

पटवारी